

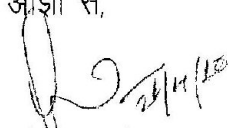
उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-484 / ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(59)-2010
लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2010 से, सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-765 / ग्यारह-9(203)/92-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(10)-2008 दिनांक 04 मार्च, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, शब्द और अल्पविराम ", स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश से पूर्व" निकाल दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।